

कार्यालय निदेशक तैय्यतरी शिक्षा, हरियाणा कच्छीक
आदेश क्रमांक 23/104-90 दिनांक 11/2 दिनांक कच्छीक 19-3-99

जैन पब्लिक स्कूल रोहतक की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं दिल्ली
के कक्षा तैर तक की सम्बन्धिता सेने हेतु अनाधिकृत प्रमाण पत्र हत अर् पर प्रमाण दिया
जाता है कि :-

विभागाध्यक्ष तय्य-2 पर जारी की जाने वाली हत विमान की विद्यालयों की प्राप्ति
करता रहेगा । विभागाध्यक्ष विद्यालयों की प्राप्ति न करने पर यह अनाधिकृत प्रमाण-पत्र
वापिस लिया जा सकता है ।

सन्तोषीक

निदेशक तैय्यतरी शिक्षा, हरियाणा,
कच्छीक


पुठ क्रमांक तम दिनांक, कच्छीक 20/3/99

हतकी एक प्रती निम्नलिखित को सूचनाएं एवं सुझावों को संकेतित हेतु दिया जाता है

1. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक के आदि क्रमांक तया-5-99/1766 दिनांक 1-3-99
के तन्म में ।
2. सुभाष जैन पब्लिक स्कूल रोहतक
3. तय्य, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र कच्छीक केंद्र प्रीत विहार
वर्ष दिल्ली, 110092.

अधीक शिक्षा

सुते निदेशक तैय्यतरी शिक्षा, हरियाणा
कच्छीक


Principal
Jain Public School
ROHTAK